

**Office of the Executive Engineer,
R.W.D Work Division, Benipur**

Letter No- 887

Date- 25-07-2025

Letter of Acceptance

To,

Ram Pukar Yadav,
S/O-Ramcharitra Yadav, Ward No-02, Debna, Deona,
Darbhanga, Bihar-847405

Subject :- Regarding Letter of Acceptance.

Ref :- Superintendent Engineer Letter No- 881, dated- 24-07-2025

Dear Sir,

This is to notify you that your Bid ID- 612305 for the execution of the Construction of Road works from L033 to Karnsagar Bhinda (Tender ID-139995) under Ghanshyampur Block Under MMGSY-SC (Name of the Contract and identification number, as given in the instruction to Bidders) for the contract and identification number, as given in the instruction to Bidders) for the contract Price of Rupees. 43,36,054.00 (Forty Three Lakh Thirty Six Thousand Fifty Four) only as corrected and modified in accordance with the Instruction to Bidders is hereby accepted by the agency.

You are hereby requested to furnish Performance Security for an amount of (Rs. 86721/- For Performance Guarantee & Rs. 1499594/- for Additional Performance Guarantee) total Rs. 1586315/- in the form of VII Issue of NSC/KVP/Unconditional Bank Guarantee within 10 days of the receipt of this letter of acceptance valid up to 45 days from the date of expiry of defects liability period.i.e. up to Five Years after Completion of Work and sign the contract, " If the performance security is in the form of a Bank Guarantee, the period of validity of Bank Guarantee could be one year initially, however, the contractor would get this Bank Guarantee extended in such a way that an amount equal to requisite performance security is always available with employer until 45 days after the lapse of Defect Liability Period."

Your Faithfully


Executive Engineer,
R.W.D(W) Division,
Benipur.

**अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।
Email Id.-serwddarbhanganacircle@gmail.com**

पत्रांक:- 881 / दरभंगा।

दिनांक:- 24/7/25

प्रेषक,

ई0 राम बाबू
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपुर।

विषय:-

MMGSY (SC) योजनान्तर्गत L033 to Karnsagar Bhinda (Tender Id-139995) पथ निर्माण कार्य का निविदा स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयाधीन कार्य के निविदा अभिलेख के आधार पर वित्तीय वीड में सफल योग्य न्यूनतम निविदाकार **Ram Pukar Yadav (Bid ID-612305)** को उनके निविदित दर, **B.O.Q.** दर से **26.99 प्रतिशत कम दर पर**, अद्यतन प्रचलित सभी करों सहित **मो0-43,36,054=00 (Rupees Fourty Three Lakh Thirty Six Thousand Fifty Four)** रुपया की लागत पर कार्य आवंटित कर स्वीकृत निविदा एवं तुलनात्मक विवरणी मूल में संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है।

- संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की कार्रवाई नियमानुसार सम्पन्न करेंगे। निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।
- कार्यपालक अभियन्ता संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यदेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- कार्यपालक अभियन्ता अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व भली-भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जाएगी।
- इस कार्य के संबंध में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत ही एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियन्ता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
11. कार्यदेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के संदर्भ में नियमानुसार खनन विभाग से सत्यापन कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे।
13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अंदर ही पूर्ण किया जाय। संपादित कार्य का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।
14. कार्य समाप्ति अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।
17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचोपरांत आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
18. एकरारनामा के पूर्व निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संवेदक से वर्क प्रोग्राम तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें। संवेदक का नाम डिबार सूची में नहीं रहने के संदर्भ में अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉर्मेंस सिक्विरीटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. कार्यपालक अभियंता संवेदक से खाली सीमेंट की बोरी एवं अलकतरा ड्रम की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन,

अधीक्षक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।
24-7-25